फा.सं.डीजीईपी/ईओयू/जीएसटी/16/2017

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड

निर्यात संवर्धन महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 17 जुलाई, 2017

सेवा में,

प्रधान मुख्य आयुक्त / प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त / महानिदेशक,
प्रधान आयुक्त / आयुक्त,
सीबीईसी के तहत सभी।

महोदया/महोदय,

विषय: अधिसूचना सं.52/2003-सीमाशुल्क दिनांक 31.3.2003 में संशोधन के फलस्वरूप जीएसटी शासन में ईओयू द्वारा परिचालन में समस्याओं का सामना करने के संबध में।

अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क दिनांक 31.3.2003 के तहत ईओयू ने माल की शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है। तथापि, जीएसटी को ध्यान-में-रखते-हुए उक्त अधिसूचना को फलस्परूप अधिसूचना सं. 59/2017-सीमा शुल्क दिनांक 30.06.2017 द्वारा संशोधित किया गया है।

2. उनके द्वारा व्यापार ने कुछ निश्चित प्रक्रियाओं में निम्नलिखित समस्याओं का सामना किया है।

(क) यह अभिवेदन किया गया है कि सीमा शुल्क (ड्यूटी की रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017 के नियम 5 को ध्यान-में-रखते-हुए, फिल्ड फॉरमेशन एक निरंतरता बांड प्रस्तुत करने पर जोर दे रहे हैं, इसके बावजूद इकाईयों के पास निष्पादित बी-17 बांड हैं जोकि यह एक सामान्य प्रयोजन वाले रनिंग बांड हैं।

(ख) ईओयू ने भी आशंका व्यक्त की है कि उक्त आईजीसीआर, नियमावली के नियम 5 को ध्यान-में-रखते-हुए, आयात करने के लिए अनुमानित मात्रा और माल के मूल्य के बारे में जानकारी एक वर्ष की अवधि के लिए जमा करने की आवश्यकता हागी। उन्हें यह आशंका है कि एक वर्ष की अवधि के दौरान जरूरतों को बढ़ा या बदल सकते हैं।

(ग) व्यापार ने भी एक ईओयू से दसूरे में माल की अंतरीय इकाई हस्तांतरण के संबंध में एक स्पष्टीकरण दिया है, जोकि परिपत्र सं. 35/2016-सीमा शुल्क दिनांक 29.7.2016 को ध्यान-में-रखते-हुए खरीद प्रमाण पत्र (पीसी) द्वारा समर्थित था।

(घ) व्यापार ने ईओयू द्वारा माल के आयात के लिए संक्रमणकालीन अवधि के लिए खरीद प्रमाणपत्र की प्रक्रिया को जारी रखने का भी अनुरोध किया है।

3. मामले की जांच की गई है। बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया है, कि-

(i) सीमा शुल्क (ड्यूटी की रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017 के तहत निरंतरता वाले बांड की जरूरतों को, बी-17 बांड, एक सामान्य उद्देश्य की तरह रनिंग बांड को प्रस्तुत करेगा और इसीलिए ईओयू/एसटीपी/ईएचटीपी इकाईयों को अलग निरंतरता बांड प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं है।

(ii) यह स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं होने वाले आयात की अनुमानित मात्रा और माल के मूल्य के बारे में (ड्यूटी की रियायती दर पर माल का आयात) नियमावली, 2017 के नियम 5(1)(क) के तहत जानकारी की जरूरतों को उपलब्ध करवाया जायेगा। इस का मतलब है कि इकाइयां एक वर्ष की तुलना में किसी भी छोटी अवधि के लिए जरूरतों को प्रस्तुत कर सकती हैं और उसके बाद की अवधि के लिए जरूरतों को दे सकती हैं। इसके अतिरिक्त सूचना देने/संशोधन करने के लिए उक्त नियमावली में कोई भी वर्जन नहीं है। इसीलिए, माल के आयात की आवश्यकता के अनुसार इकाइयां समय-समय पर इस तरह की जानकारी को संशोधित/परिवर्तन/जोड़ सकती हैं।

(iii) 31.7.2017 तक संक्रमणकालीन अवधि के लिए, ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी इकाइयों को आईजीसीआर, नियमावली के नियम (5) की प्रक्रिया का पालन करने का विकल्प होगा या माल के आयात के लिए खरीद प्रमाण पत्र का प्रयोग करेगा।

(iv) लागू जीएसटी करों के भुगतान करने व उसके चालान पर अंतर इकाई हस्तांतरण होगा। तथापि, ऐसे हस्तांतरण सीमा शुल्क ड्यूटी के भुगतान के बिना होगा। स्थानांतरित होने वाले आशयित माल पर, यदि कोई हो, छूट रूपी लाभ उठाया हो, तो आपूर्तिकर्ता इकाई इस तरह के दस्तावेजों पर सीमा शुल्क ड्यूटी की राशि का समर्थन करेगा। प्राप्तकर्ता इकाई ऐसी मूल सीमा शुल्क ड्यूटी का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगी, जैसाकि अधिसूचना सं. 52/2003-सीमा शुल्क दिनांक 31.3.2003 (यथा संशोधित) के तहत बाध्य किया गया है, जब ऐसे माल या ऐसे बने हुए तैयार माल की निकासी डीटीए में की गई हों। परिपत्र सं. 35/2016 - सीमा शुल्क दिनांक 29.7.2016 स्टैंड संशोधित बढ़ाना होगा कि अंतर-इकाई स्थानांतरण के लिए खरीद प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

4. यह सभी फिल्ड फॉरमेशंस और व्यापार के नोटिस में भी लाया जा सकता है।

भवदीय,

(सरोज कुमार बेहेरा)
संयुक्त निदेशक